न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1 कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2144/2026
UPKN010063462026

आशीष कुमार शर्मा पुत्र राकेश कुमार निवासी मकान नं0 203सी साहब नगर कल्यानपुर थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर। ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।
..... विपक्षी

मु0अ0सं0–142/2026
धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0
धारा 66सी, 66डी आई टी एक्ट
थाना–बर्रा, कानपुर नगर

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2163/2026
UPKN010064252026

साहिल विश्वकर्मा पुत्र हरिचरन विश्वकर्मा निवासी हाल पता आजाद पुलिया के पास बर्रा–2 दक्षिण जनपद कानपुर नगर। मूल पता–43/16 ब्लॉक नं. 5 गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर। ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0 प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।
..... विपक्षी

मु0अ0सं0–142/2026
धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0
धारा 66सी, 66डी आई टी एक्ट
थाना–बर्रा, कानपुर नगर।

10.06.2026

1. प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण आशीष कुमार शर्मा एवं साहिल विश्वकर्मा की ओर से मुकदमा अपराध सं0 142/2026 धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0 धारा 66सी, 66डी आई टी एक्ट थाना–बर्रा,कानपुर नगर में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा के तहत जिला कारागार में निरूद्व है। उपरोक्त दोनो जमानत आवेदन एक ही घटना व अपराध संख्या से संबंधित होने के कारण एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी के अनुसार वादी निरीक्षक अबरार खान की फर्द बरामदगी के आधार पर थाना बर्रा कानपुर नगर में इस आशय की रिपोर्ट

दर्ज करायी गयी कि आज दिनांक 30.04.2026 को में निरीक्षक अबरार खाँ मय अन्य कर्मचारीगण देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम, चौकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व क्षेत्र में साइबर अपराध/डिजिटल अरेस्ट व इन्वेस्टमेंट बैकिंग से हो रही ठगी करने वाली गैंग की तलाश हेतु पेटोल लाइन सब्जी मण्डी के पास मौजूद थे और हम पुलिस वाले आपस में वर्तमान में हो रहे साईबर अपराध/डिजिटल अरेस्ट व इन्वेस्टमेंट बैकिंग फ्राड के माध्यम से जनता के साथ हो रही ठगी को रोकने हेत लगातार सूचनॉए एकत्रित कर रहे थे तभी मुखबिर ने सूचना कुछ लोग फर्जी जीएसटी फर्म/उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराकर यह लोग करंट/ट्रस्ट एकाउन्ट खुलवाते है जिससे कि पैसो के लेन देन की लिमिट ज्यादा मिल सके व फर्जी जीएसटी फर्म बैंक UP GRAMIN BANK, J&K BANK, CSB BANK, ÜNITY SMALL FINANCE BANK, AXIS BANK, MAHARASHTRA GRAMIN BANK, UCO BANK, CITY UNION BANK आदि बैंको में मौजूद बैंक के कर्मचारियो द्वारा मिलीभगत करके एकाउन्ट खुलवाकर इसमें डिजिटल अरेस्ट/साइबर फ्राड का पैसा मंगवाते है तथा डिजिटल अरेस्ट/साइबर फ्राड आदि से प्राप्त पैसो को 5 से 10 प्रतिशत उसी बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों को कमीशन के रूप मे देते है तथा उक्त बैंको द्वारा जो भी फर्जी एकाउन्ट खोले जाते है उसकी मानिटरिंग बैंक के कर्मचारियो द्वारा की जाती है यदि एकाउन्ट से सम्बन्धित. कोई भी साइबर कम्पलेन आती है तो उक्त बैंको के कर्मचारियो द्वारा बैंक में जमा राशि को निकलवा देते है और फ्राड द्वारा अर्जित की गई धनराशि उक्त बैंको के एकाउन्ट मे ट्रान्सफर कराने हेतु मना कर देते है कि एकाउन्ट फ्रीज हो सकता है और भोले भाले लोगो को फंसाकर उनसे धोखाधड़ी कर पैसो की ठगी कर उक्त बैंको के कर्मचारियों द्वारा खोले गये फर्जी करंट/ट्रस्ट एकाउन्ट मे ठगी के पैसो को मंगवाते है और कूटरचित दस्तावेजो से खोले गये फर्जी फर्म अकाउंटो व फर्जी जीएसटी के माध्यम से रूपया एकत्रित करके ट्रस्ट व करंट एकाउंट में स्थानान्तरित करते हुए अनैतिक तरीके से धन अर्जित कर रहे है एकत्रित होकर योजनाबद्ध तरीके से कोई नया साइबर अपराध करने हेतु थाना बर्रा के पीछे बने प्राइमरी स्कूल के पास किसी का इन्तजार कर रहे हैं यदि जल्दी की तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके जब प्राइमरी स्कूल की बाऊण्ड्री के पास पहुँचे तो मुखबिर खास ने गाड़ी रुकवाकर इशारा करके बताया कि बाउण्ड्री के अन्दर जो तीन व्यक्ति खड़े है वही लोग है जो इसी गैंग के सदस्य हैं। इतना बताकर मुखबिर खास पीछे मुड़कर वापस चला गया। हम पुलिस वालो ने मौके पर जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया गया परन्तु भलाई बुराई एवं कोर्ट कचहरी के चक्कर में न पड़ने के कारण कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं हुआ तत्पश्चात हम पुलिस वालो ने सिखलाये हुए तरीके से छिपते छिपाते एकबारगी दबिश देकर मौके पर 03 लड़को को पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुये जामातलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम सोनू शर्मा पुत्र स्व० दुर्गा प्रसाद शर्मा बताया जिसकी जामातलाशी ली गयी तो पहने हुई जीन्स से निकालकर एक अदद मोबाइल फोन TECHNO SPARK 7 pro रंग आसमानी दिया जिसको चेक किया गया तो उसका IMEI नं0 354668220127340/78 व 354668220127357/78 जिसमें सिम जिसका मो0नं0 जियो 8970531297 व एयरटेल मो0नं0 9506927142 तथा

जिसके कवर में एक अतिरिक्त सिम टप कम्पनी मिला जिसका सीरियल नं0 899102766200295747 34SR जो कवर मे अलग से बरामद हुआ व एक व्यक्ति परसराम पुत्र रामअधीन बाजपेयी नि0–4 ईडब्लूएस 80 फीट रोड बर्रा 2 के नाम से दो अदद पैन कार्ड नं0 CHKKP8744F व CHKPP8744F व एक अदद आधार कार्ड नं0 549523501072 बरामद हुआ तथा दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सतीश पाण्डेय पुत्र स्व० श्याम कुमार बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए हाफ लोअर की जेब से एक अदद मोबाइल फोन OPPO F27 PRO PLUS 5G रंग हल्का गुलाबी IMEI नं0 869243075565495 व 869243075565487 जिसमें मो0नं0 8081661680 लगा हुआ है तथा INFINIX GT20 PRO रंग नीला के बारे मे पूछा गया तो बताया कि यह मोबाइल मेरा नहीं है यह फोन तनिष गुप्ता निवासी वरूण बिहार कानपुर नगर का रहने वाला है जो हमारा साथी है तथा वह अभी किसी काम से अभी चला गया है उक्त मोबाइल को चेक किया गया तो IMEI नं0 356578460981488 व 356578460981496 जिसमे जियो 96707948655 बरामद हुआ तथा 02 अदद आधार कार्ड नं0 680775000734 की छायाप्रति बरामद हुई जिसमें नाम मधिया परवेज पुत्र मो० परवेज निवासी–101/110 रहमानी मार्केट तलाक महक कानपुर नगर तथा दूसरे आधार कार्ड में नाम मबिया परवेज पुत्र मो० परवेज नि०– 100/180 रहमानी मार्केट तलाक महक कानपुर नगर अकित है तथा साकिब असलम पुत्र मो० असलम नाम के 02 अदद आधार कार्ड नं० 962554536785 जिसमे एक में पता 99/185 कंधी मोहाल बेकनगंज कानपुर नगर व दूसरे में 29/105 कंघी मोहाल बेकनगंज कानपुर नगर अंकित है बरामद हुआ, उक्त आधार कार्ड की छायाप्रतियों के बारे मे पूछा गया तो बताया कि हम लोगो द्वारा आधार कार्डो में पता बदलकर फर्जी एकाउन्ट खुलवाने में इन्ही फर्जी दस्तावेजो को लगाते है यह वही दस्तावेज है तथा तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम साहिल विश्वकर्मा पुत्र हरी चरन बताया तथा पहने जीन्स की पैन्ट से एक अदद मोबाइल कम्पनी REDMI NOTE 6 PRO रंग काला IMEI नं0 864353042142396 व 864353042142404 जिसमें सिम मो0नं0 9235789239 दस्तावेज है बरामद हुआ तथा विमलेश पत्नी संजय नि0–35/66 चक नं0 35 बंगाली मोहाल कानपुर केनाम से दो अदद आधार कार्ड की छायाप्रति आधार कार्ड नं. 548930842479 व 54893094247 तथा दसरे व्यक्ति शादाब हुसैनी पुत्र अली हसन नि 6/21 फहीमाबाद कालोनी केडीए कालोनी कानपुर नगर के नाम से दो अदद आधार कार्ड की छायाप्रति आधार कार्ड नं0 496161890121 व 496121890121 बरामद हुआ तथा अभियुक्त सतीश पाण्डेय के पास से बरामद मोबाइल फोन की जांच की गयी तो निन्न खातो की डिटेल प्राप्त हुई (1) TRADE NAME-RADHA ENTERPRISES ADDRES BULDING NO 1396 ROAD VARUN VIHAR KANPUR NAGAR BARRA 8 PIN 208027 REG NO- 09BWDPP8904J1Z1 A/C NO- 0080102000060437 IDBI BANK (2) TRADE NAME-RADHA ENTERPRISES ADDRES BULDING NO 1396 ROAD VARUN VIHAR KANPUR NAGAR BARRA 8 PIN 208027 REG-NO- 09BWDPP8904J1Z1 A/C NO- 895820110000948 BANK OF INDIA तथा सोनू शर्मा के मोबाइल फोन से एक्सिस बैंक खाता सं0 920020065646961, स्टेट बैंक आफ इण्डिया खाता सं0 38515332113 IFSC SBIN0011353 नाम

सिस्को कामर्स इण्डिया प्रा०लि० प्राप्त हुए। पकड़े गये व्यक्तियो के मोबाइल फोन में व्हाट्स अप में खाते उपलब्ध कराने तथा गेमिंग तथा कमीशन से सम्बन्धित बातचीत की चौट मौजूद है जिसकी फोटो लिये गये। तत्पश्चात पकड़े गये व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो सभी ने बताया कि साहब हम लोग साइबर फ्राड/डिजिटल अरेस्ट का कार्य करते है और भोले भाले लोगो को फंसाकर उनसे पैसों की ठगी करके उन पैसो को अपने द्वारा खुलवाये गये फर्जी ट्रस्ट/करंट एकाउन्ट फर्जी जीएसटी में मंगवाते है क्योकि इन एकाउन्ट की लेन देन की राशि की कोई सीमा नहीं होती है और भोले भाले लोगो को धोखा देकर आधार कार्ड प्राप्त कर लेते है तथा उनमें पता बदलकर फर्जी अकाउंट खुलवाते है। इसी तरह हम लोगों ने राजवीर के साथ मिलकर शुभम गौड़ पुत्र विजय कुमार निवासी ए 707 बर्रा 6 कानपुर नगर का धोखाधड़ी करके अकाउंट खुलवाया था जिसमें साइबर फ्राड के काफी रूपयों का लेन देन किया गया है। साहब हमारे फर्जी अकाउन्ट ओमकार यादव उर्फ राजबीर सिंह पुत्र कृष्णा यादव नि०– ए/233 ईडब्लूएस बर्रा 7 थाना बर्रा कानपुर नगर तथा उसके साथ यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक कर्मचारी आशीष कुमार शर्मा पुत्र राकेश कुमार नि०– म०नं० 203 सी/18 साहब नगर कल्याणपुर कानपुर नगर, एक्सिस बैंक के अमित सिंह व धर्मेन्द सिंह तथा सीएसबी बैंक के अमित कुमार, मुकेश झाँ उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक गुमटी ब्रांच कानपुर नगर व अन्य बैंक कर्मचारी जिनका नाम पता हम लोगो को नहीं पता है के माध्यम से खुलवाये जाते है जिसमें राजवीर उर्फ ओमकार यादव के द्वारा साइबर फ्राड से प्राप्त किये गये रूपयो का कुछ हिस्सा बैंक के कर्मचारियों तथा कुछ हिस्सा हम लोगो को दिया जाता है। पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछा गया तो बताया कि हमारे ग्रुप में अंचित गोयल निवासी आगरा, दिनेश राठौर निवासी मुरैना मध्य प्रदेश, लालू उर्फ कश्यप निवासी बर्रा कानपुर नगर, शशांक गुप्ता मो0नं0 7985088497 निवासी बारादेवी कानपुर नगर, उपेन्द्र सिंह मो0नं0 7905283431, धीरू उर्फ धीरेन्द्र कुमार निवासी बर्रा कानपुर नगर मो०नं० 9793943276, ड्रेगन निवासी बर्रा कानपुर नगर मो0नं0 8576814426, यश राठौर निवासी रतनलाल नगर कानपुर नगर मो0नं0 7651865271,रोहित कटरेजा निवासी रतनलाल नगर मो0 नं0– 9277135031, कृष्णा निवासी रामादेवी मो०नं० 9696550427, अमित निवासी फजलगंज मो0नं0 7007166286, संजय वर्मा निवासी 35/66 बंगाली मोहाल कानपुर नगर मो0नं0 9696006963, उजैफ निवासी लखनऊ मो0नं0 8299767966 काम करते है। हमारे ग्रुप का मेन मुखिया राजवीर सिंह उर्फ ओमकार श्यादव है। उक्त फर्जी एकाउन्टो की मानिटरिंग राजवीर व उसके साथी बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हम लोगो द्वारा फर्जी एकाउन्ट खुलवाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिया जाता है आज हम लोग कुछ नये फर्जी एकाउन्ट खुलवाने के लिये फर्जी दस्तावेज देने के लिये राजवीर उर्फ ओमकार को देने के लिये खड़े हुए थे। तभी आप लोगो ने पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्तियो को उनके जुर्म धारा 319(2),318(4),338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) बीएनएस व 66 सी/66डी डी आईटी एक्ट से अवगत कराते हुऐ समय करीब 04.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी का वीडियो अन्तर्गत धारा 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पालन करते हुये मुझ निरीक्षक के निर्देशन में व उ0नि० राजेश कुमार के मोबाइल से ई साक्ष्य एप पर रिकार्ड

किया गया।

3. वादी अबरार खान की तहरीर के आधार पर थाना बर्रा कानपुर नगर में मुकदमा अपराध संख्या 142/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0 व धारा 66सी, 66डी आई टी एक्ट में अभियुक्तगण सोनू शर्मा, सतीश पाण्डेय, साहिल विश्वकर्मा, आंमकार यादव उर्फ राजवीर, आशीष कुमार शर्मा, अमित सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, अमित कुमार, तनिष गुप्ता, मुकेश झॉ, अंचित गोयल, दिनेश राठौर, लाल उर्फ कश्यप, शशांक गुप्ता, उपेन्द्र सिंह, धीरू उर्फ धीरेन्द्र कुमार, ड्रेगन, यश राठौर, रोहित कटरेजा, कृष्णा, अमित, संजय वर्मा, उजैफ, अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्व अभियोग दर्ज हुआ।

4. आवेदक/अभियुक्त आशीष कुमार शर्मा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का आधार व कारण नही दर्शाया गया है। अभियुक्त को अवैध हिरासत में रखकर मुकदमें में आरोपी बना दिया गया। अभियुक्त ने कोई अपराध नही किया है। किसी भी प्रकार से कोई संलिप्तता नही है। फर्जी मनगढ़त बयानों के आधार पर अभियुक्त बना दिया गया। आवेदक/अभियुक्त यूनिटी स्माल फाइनेन्स बैक में सेवारत रहा है। वर्तमान में किसी भी प्रकार से किसी फर्जी दस्तावेज, कूटरचित आधार कार्ड प्रपत्रों से किसी भी प्रकार से कोई बैंक एकाउन्ट खोला जाना संभव नही है। क्योंकि खाता खोलते समय साफ्टवेयर आधार कार्ड को स्कैन मानिटरिंग करता है व आधार संख्या में वास्तविक व्यक्ति का नाम व पता ही होता है। यदि दस्तावेज में कोई कूटरचना की जाती है तो साफ्टवेयर उसे स्वीकार नही करेगा। अभियुक्त के मोबाइल नंम्बर 9839610870 व 9838885060 की दिनांक 28.04.2026 से दिनांक 30.4.2026 तक की सीडीआर से अभियुक्त की लोकेशन साबित हो सकती है। अभियुक्त दिनांक 28.04.2026 से जेल में है। आवेदक/अभियुक्त की जमानत सी जे एम न्यायालय से दिनांक 04.05.2026 को खारिज कर दी गयी है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. आवेदक/अभियुक्त साहिल विश्वकर्मा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। पुलिस द्वारा रंजिशन फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त विभिन्न गेस्ट हाउस में वेटर का काम करता है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई चीज बरामद नही हुयी है। आवेदक/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और यह कहा गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लोगो को अपने जाल मे फंसाकर आनलाइन गेम सट्टा खिलाकर एवं डिजिटल अरेस्ट तथा जी एस टी की चोरी करके पैसा ठगने तथा भोले भाले लोगो को झॉसा देकर एवं बहला

फुसलाकर आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटो, सिगनेचर आदि लेकर कूटरचना करके फर्जी नाम व पते का अकाउण्ट खुलवाने का अभियोग है। अभियुक्त आशीष कुमार एक बैक कर्मचारी है। प्रकरण के सहअभियुक्तगण सतीश पाण्डेय एवं अमित सिंह की नियमित जमानत तथा अभियुक्तगण ओमकार यादव एवं आंचित गोयल के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जा चुके है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7. उभय पक्षों के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

8. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण आशीष कुमार शर्मा एवं साहिल विश्वकर्मा के विरूद्व आरोप है कि अभियुक्तगण ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फर्जी जीएटी/उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराकर बैक कर्मचारियों की मिलीभगत से बैक में करंट/ट्रस्ट अकाउंट खोलते है तथा उन खातों से साइबर फ्राड/डिजीटल अरेस्ट से प्राप्त रूपयों का लेन देन करके अनैतिक रूप से धन अर्जित करते है। अभियोजन का कथन है कि दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त रूपयों का दौरान कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर खोले गये खातो का सत्यापन कराया गया तथा फर्जी फर्म के नाम पर खोले गये खाते में करीब 54 करोड़ रूपयो का लेनदेन पाया गया। अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण द्वारा मिलकर शुभम गौड़ व परसराम व अन्य सीधे सादे लोगो को लोन दिलाकर सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए खाता खुलवाया गया। अभियोजन का कथन है कि शुभम गौड़ के खाते में साइबर अरेस्ट से संबंधित 93 लाख रूपया प्राप्त हुआ है जिसके संबंध मे महाराष्ट में एफ आई आर रजिस्टर्ड है।

9. अभियोजन का कथन है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की गिरफतारी के समय मोबाइल फोन से भारी मात्रा में आधार कार्ड बरामद हुए है जिनके माध्यम से खाता खोलकर करोड़ो रूपये का लेनदेन किया गया है। केस डायरी में अभियुक्त साहिल विश्वकर्मा के मोबाइल से विभिन्न लोगो के आधार कार्ड एवं अभियुक्त आशीष कुमार के मोबाइल के अंदर से व्हाट्स व गैलरी में विभिन्न व्यक्तियों के काफी मात्रा में आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता खोलने के फार्म बरामद होने का उल्लेख है। इस संबंध में बचावपक्ष का तर्क है कि आशीष कुमार एक बैक कर्मचारी है और उसके मोबाइल उक्त दस्तावेज होना स्वाभाविक है इसके विपरीत अभियोजन का कथन है कि अभियुक्त द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फर्जी कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर फर्जी फर्मो के खाते खोले गये और जिन खातो से साइबर फ्राड/जीएसटी चोरी से प्राप्त करोड़ो रूपयों का लेन देन किया गया है।

10. केस डायरी के पर्चा सं0 1 में खाताधारक ओम अवस्थी का बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. अंकित है जिसमें कथन किया गया कि, मैं, एक इंटरनेट कैफे चलाता हूँ। साहिल विश्वकर्मा (आवेदक/अभियुक्त), सोनू शर्मा, तनिष गुप्ता मेरे कैफे पर आये थे तथा बताया था कि हमारी जान पहचान बैंक के कर्मचारियों से है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लोन दिलाकर भारी सब्सिडी दिलाते है अगर तुम चाहो तो हम तुम्हे भी लाभ दिलवा सकते है।

इसके बाद इन लोगो ने मुझे राजवीर सिंह उर्फ ओमकार, संजय वर्मा. ऋषभ वर्मा आदि लोगो से मिलवाया था जिन्होने कहा था कि हम लोग तुम्हारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया जायेगा जिसमें 25 लाख रू0 का लोन पास होगा। जिसमें से तुम्हें 18 लाख रू0 लोन के चुकाने हैं और 7 लाख रु० सब्सिडी मिल जाएगी, इन लोगों ने मुझे लालच देकर यूनिटी बैंक के कर्मचारी आशीष कुमार (आवेदक/अभियुक्त) व अन्य बैंक के कर्मचारियों से मिलवाया था और कहा था कि हम लोग अपने अपने बैंक में तुम्हारे नाम से खाता खोलकर उसमें लोन का रूपया दिलवायेगे। इसके बाद इन लोगो मेरा पूनम आनलाइन सर्विस के नाम से करन्ट खाता उत्कर्ष बैंक में खुलवाया था तथा बैंक में KYC के लिए मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाया गया था और खाते में मोबाइल नम्बर इन लोगों द्वारा अपना मोबाइल नंबर डाला गया, इस खाते को राजवीर और इसके साथियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, उससे कुछ समय के लिए मेरा फोन ले लिया जाता था, कि बैंक द्वारा ओटीपी आएगा हम खुद ले लेंगे, तुम्हे परेशान नहीं होना पडेगा। इन लोगों ने ही मेरे खाते की पास बुक, एटीएम व चेकबुक ले ली थी। संजय वर्मा और राजवीर ने मुझे बताया कि ऐसे ही हमने अपने घर वालों व अन्य कई लोगो के भी खाते खुलवाए हैं, जिसमें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है, हम तुम्हें भी अच्छा लाभ प्राप्त कराएंगे। अपने और दोस्तों को बताओगे तो अलग से कमीशन देगें। अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो इसी तरह तुम्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर बहुत अच्छा पैसा कमवा देगें। तब मैने कहा था कि आप मेरा सिर्फ लोन करा दीजिए जिससे मैं अपना व्यवसाय बड़ा कर सकूँ। मुझे बाद में पता चला कि इन लोगों का एक गैंग है जिसमें इनके अलावा और लोग भी हैं। इन सब का मुखिया राजवीर है जो अपने साथी बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरा गैंग चला रहा है, ये लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फसाकर साइबर फ्राड कर उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसा ठग लेते हैं। धोखाधड़ी का पैसा मेरे व अन्य लोगों के नाम से खुलवाए गये खातों में पैसा डलवाते हैं। मेरे खाते में कितना पैसा आया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे बैंक की पासबुक, एटीएम इन लोगों के पास थे. इन लोगों के द्वारा मेरा खाता चलाया जा रहा था, जिसके कारण मुझे कोई जानकारी नहीं हो सकी। इन लोगो के द्वारा मुझे और मेरे जैसे कई और लोगो को सरकारी योजना का लाभ दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी करके खाते खुलवाए है।

11. केस डायरी में एक अन्य खाताधारक एवन यादव का भी बयान अंकित है जिसमे उसका कथन है कि मै बी ए का छात्र हूँ। ओम अवस्थी मेरा दोस्त है जिसने मुझे बताया था कि कुछ लोग मेरे जानने वाले है जो सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिलाकर सब्सिडी के रूप में लाभ दिलाकर रूपया कमवा देते है। इसके बाद ओम अवस्थी के कैफे पर मेरी मुलाकात साहिल विश्वकर्मा (आवेदक/अभियुक्त), सोनू शर्मा, तनिष गुप्ता से हुई थी जिन्होने बताया था कि हमारी जान पहचान बैंक के अधिकारियों से है। हमने तुम्हारे दोस्त ओम अवस्थी की लोन की फाइल लगा दी है जल्द ही ओम अवस्थी का प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 25 लाख रूपये का लोन पास हो जायेगा तथा सब्सिडी के रूप में उसे 07 लाख रूपये बच जायेगे। अगर तुम चाहो तो इसी तरह तुमको भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोन दिलवाकर लाभ दिलवा

देगे। इसके बाद इन लोगो ने मुझे राजवीर सिंह उर्फ ओमकार, संजय वर्मा, ऋषभ वर्मा, सतीश पाण्डेय व कुछ बैक वालो से मिलवाया था और बताया था कि हम लोग तुम्हे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत तुम्हे लोन दिलवा जाएगा 25 लाख का लोन होगा जिसमे से तुम्हे 18 लाख रुपये लोन के चुकाने है और 7 लाख की सब्सीडी मिल जाएगी। इन लोगो ने मुझे लालच देकर मेरा बचत खाता व करंट CSB बैंक में बैंक कर्मचारी अमित कुमार के द्वारा खुलवाया था। बैंक में KYC के लोगों द्वारा अपना मोबाइल नंबर डाला गया था. इन खातों को राजवीर और इनके साथियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। ये लोग कभी कभी मेरा फोन कुछ समय के लिए ले लेते थे और बताते थे कि बैक द्वारा ओ टी पी आएगा हम खुद ले लेंगे तुम्हे परेशान नही किया जायेगा। उन लोगो के पास ही मेरी एटीएम, पासबुक चेक बुक थी। संजय वर्मा और राजवीर ने मुझे बताया कि हम लोग बहुत दिनो से यह काम कर रहे है तथा हम लोगो के साथ कई बैंक के कर्मचारी भी साथ है जिससे यह काम बहुत आसानी से हो जाता है। हमने अपने घर वालों के व रिश्तेदारो के भी खाते खुलवाए है जिससे अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। हम तुम्हे भी अच्छा कमीशन देगे। अगर तुम अपने और दोस्तों को बताओगे तो अच्छा कमीशन मिलेगा। अगर तुम हमारे हिसाब से चलेगो तो तुम्हें बहुत अच्छा पैसा कमवा देगें। तब मैने कहा था कि आप मेरा सिर्फ लोन करा दीजिए जिससे में अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकू मुझे बाद में पता चला कि इन लोगों का एक गैंग है जिसमे इनके इलावा और भी लोग है। इन सब का मुखिया राजवीर है। जो अपने बैंक कर्मचारी के मिलकर पूरा गैंग चला रहा है। ये लोग भोले भाले लोगो के अपने जाल में फसा कर आनलाइन गेम के जरिए पैसा कमाने का लालच देकर उनके साथ धोखाधडी देकर पैस ठग लेते है मेरे व अन्य लोगों के नाम से खुलवाए गए खाते में पैसा डलवाते है। मेरे खाते में कितना पैसा आया इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है मैरे बैंक की पासबुक, एटीएम इन लोगों के पास ही थे। इन लोगे के द्वारा ही मेरा उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक में मुकेश झा द्वारा खेला गया। इन लोगों के द्वारा मुझे और मेरे जैसे कई और लोगों के सरकारी योजना का लाभ दिलाने का लालच देकर, धोखाधड़ी करके बाते खुलवाए है।

12. अभियोजन का कथन है कि अभियुक्तगण द्वारा एक मोबाइल नम्बर को अलग अलग बैकों में अलग अलग लोगो के खातों मे लिंक कराकर खातों का संचालन किया जाता है। सी डी के पर्चा नं.–6 में लगभग 26 खातों का विवरण है जिनके नाम से फर्जी खाता खोलकर करोड़ो का लेनदेन किया गया है तथा केस डायरी के पर्चा सं0 12 में लगभग 8 खातों का विवरण है जिनके नाम से फर्जी खाता खोलकर करोड़ो का लेनदेन किया गया है तथा अभी विवेचना प्रचलित होना कहा गया है। केस डायरी में खाताधारक परशराम व नितेश राठौर एवं ओमअवस्थी, एवन यादव का भी बयान अंकित है जिसमे उनके द्वारा अपने साथ हुए फ्राड का उल्लेख किया है। अभियोजन का कथन है कि विवेचना के दौरान अभियुक्तगण एवं सह अभियुक्तों के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त रूपयों को कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर कई खाते पाये गये जिन पर देश के भिन्न भिन्न राज्यों से साइबर फ्राड के संबंध में 78 शिकायते व 01 अभियोग महाराष्ट में दर्ज होना पाया गया है। दौरान विवेचना यह भी पाया गया कि सहअभियुक्त अंचित गोयल की मदद से जनपद आगरा में मे0 राजाराम

टेडर्स के नाम से फर्जी फर्म खुलवायी गयी है तथा खाते में 54 करोड़ का लेनदेन भी किया गया है।

13. अभियोजन का कथन है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह अभियुक्तगण का एक गिरोह है जो एक साथ समान उददेश्य से एक साथ मिलकर देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोगो के साथ धोखाधड़ी/डिजीटल अरेस्ट एवं जीएसटी फर्म एवं फर्जी बैंक खाते खुलवाकर आम जनता से धोखाधड़ी कर धन अर्जित करना है। अभियोजन द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त कृत्य योजनाबद्ध एवं संगठित गिरोह के माध्यम से किया जा रहा था, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं बैंक कर्मचारियों की संलिप्तता प्रकाश में आयी है। वर्तमान समय में साइबर अपराध समाज एवं आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभियुक्त आशीष कुमार शर्मा को यूनिटी स्माल फाइनेंस बैक का कर्मचारी बताया गया है तथा उसके द्वारा बैक की मिली भगत व सहअभियुक्तगण के सहयोग से भोले भाले लड़के के फर्जी खाता खुलवाये और साइबर फ्राड से प्राप्त धन को उस खाते के माध्यम से ट्रेडिग किया। अभियोजन का कथन है कि जिसकी पुष्टि गवाह ओम अवस्थी, एवन यादव, परशराम व नरेश के बयान से भी होती है तथा खातों में 54 करोड़ का लेनदेन किया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने जमानत आवेदन में अन्य जो आधार लिये गये हैं वह सब साक्ष्य का विषय है और विचारण के स्तर पर देखे जाने है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित गंभीर प्रकृति का है। ऐसे मामलों में जमानत के प्रकरण पर यदि उदारता बरती गयी तो समाज में अच्छा संकेत नही जायेगा। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थतियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार नही है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण आशीष कुमार शर्मा एवं साहिल विश्वकर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किये जाते हैं।

जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार कानपुर नगर को अभियुक्त को दिये जाने हेतु जरिये ई–मेल भेजी जाए।

जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2163/2026 साहिल विश्वकर्मा बनाम राज्य पर रखी जाए।

(सपना त्रिपाठी-I)
आई.डी. यू.पी.6103
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1,
कानपुर नगर।

दिनांकः 10.06.2026

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.10 16:41:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court